उद्योगों की सहूलियत के लिए बदलेगी भवन नियमावली

फ्लोर एरिया रेशियो के मानक भी सहज बनाएगा यूपीसीडा

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

उद्योगों की सहूलियत के लिए (यूपीसीडा) अपनी छह साल पुरानी भवन विनियमावली में वदलाव करेगा। अलग-अलग प्राधिकरणों के लिए अलग-अलग विनियम की जगह एकीकृत नियमावली वनेगी। इसमें फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) सहित कई अन्य मानकों को आसान किए जाने की तैयारी है। शासन स्तर पर हुई उच्चस्तरीय वैठक में इस पर सहमति वन गई है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण उद्योगों, औद्योगिक टाउनशिप में स्कूल, अस्पताल सहित अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हैं। इस पर निर्माण के लिए एफएआर के तय मानकों का पालन करना पड़ता है। अलग-अलग

औद्योगिक प्राधिकरणों में इसके लिए नियम भी अलग-अलग हैं। यीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथारिटी के एफएआर यूपीसीडा के अन्य प्राधिकरणों से अलग-अलग हैं। अव इसे एक समान वनाया जाएगा। अन्य प्राधिकरणों में भी एफएआर वढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे उद्योगों व अन्य कमर्शल संस्थानों को निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो सकेगी।

एकीकृत नियमावली बनेगी

- प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए निर्माण कार्य को प्राधिकरणों में अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। इससे उद्योगों की स्थापना में विलंब होता है। इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश की जाएगी कि एकीकृत नियमावली बने जिससे दिक्कतें कम हों।

सूत्रों का कहना है कि, सरकार का फोकस फ्लैटेड इंडस्ट्री को वढ़ावा देने पर है। इसमें कम जगह पर अधिक इकाईं भी स्थापित होती हैं, वह वहां कार्य रहे लोगों के लिए निवास सहित अन्य सहूलियतें भी वेहतर होती हैं। इसलिए, भी नियमावली को तर्क संगत वनाया जा रहा है।